FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

डाल कँवर पत्नि भारतसिंह वगै0 बनाम दफा कँवर वगै0

किस्म मुकदमा:-प्रार्थना पत्र वाजदायरी अ0 आदेश 9 नियम 9 सीपीसी, मुकदमा नम्बरः 65/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम मे जारी हुये
29.07.2022	प्रार्थीगण की ओर से श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाजदायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का पेश किया। प्रार्थना पत्र वाजदायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी दर्ज रजिस्टर की जावें। वकील प्रार्थीगण ने प्रस्तुतीकरण के दौरान बहस अवगत कराया कि उक्त वादपत्र बमुकदमा उनवानी भारतसिंह बनाम दफा कँवर वगै0 वादपत्र उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 14/2019 तारीख पेशी 14.07.2022 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। जिसकी जानकारी वकील प्रार्थीगण को दिनांक 26.07.2022 को मिलने पर प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 28.07.2022 को ही प्राप्त कर वाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी उक्त वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु अनापत्ति नहीं होने बाबत प्रार्थना पत्र पर ही हस्ताक्षर कर दिये है। वकील प्रतिवादी की अनापत्ति के आधार पर वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी प्रारम्भिक स्टेज पर ही स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा मूल दावा वादपत्र उनवानी भारतसिंह बनाम दफा कँवर वगै0 वादपत्र उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा, मुकदमा नं. 14/2019 निर्णय फैसला 14.07.2022 को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.08.03 13:02:55 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	